



रायपुर विकास प्राधिकरण


भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्रनगर रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

कमल विहार में आवासीय भूखंडों के लाटरी से भूखंड आबंटन के नियम एवं शर्तें
दिनांक 21.09.2017 से दिनांक 31.10.2017 तक की अवधि के लिये लागू

आवेदन फार्म प्राधिकरण कार्यालय/छत्तीसगढ़ में स्थित सेन्ट्रल बैंक की शाखाओं में जमा
किये जा सकेंगे।

क्रमांक

दिनांक



आवेदक

का नाम

आवेदन पत्र का मूल्य 500/- (पाँच सौ रुपये) की राशि रसीद क्रं..

..... बुक क्रं.

दिनांकद्वारा जमा किया गया ।

मुहर

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

आवेदक द्वारा भरा जाना है

1. आवेदक/संस्था/फर्म/
ट्रस्ट/समिति का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. आयु
4. आवेदक का पत्र व्यवहार का वर्तमान/स्थायी पता :-
अ. निवास का वर्तमान पता
- ब. निवास का स्थायी पता
- स. दूरभाष/मोबाईल नं.
ई-मेल आईडी

5. क्या आवेदक आरक्षण सुविधा का लाभ लेना चाहता है ? Yes / No

यदि हां तो उपयुक्त कॉलम में सही का निशान लगाए। आवेदक केवल एक श्रेणी में ही आरक्षण का लाभ ले सकता है अतः केवल एक कॉलम में ही सही का निशान लगायें।

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1. अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए | 10% | <input type="checkbox"/> |
| 2. पिछड़ा वर्ग के लिए | 6% | <input type="checkbox"/> |
| 3. शासकीय / शासन के उपक्रम / स्थानीय संस्थाएं | 2% | <input type="checkbox"/> |
| 4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए | 4% | <input type="checkbox"/> |
| 5. सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए | 2% | <input type="checkbox"/> |
| 6. शारीरिक विकलांगों के लिए | 1% | <input type="checkbox"/> |
| 7. निराश्रित एवं साधनहीन विधवाओं के लिए | 2% | <input type="checkbox"/> |

टीप:- यदि आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

6.1 लीज-होल्ड या फ्री होल्ड

6.2 आवेदक द्वारा चाहे गए भूखंड के लिए निम्नानुसार प्रवृष्टियां की जावें

| भूखण्ड चयन | तलिका में दर्शाये गये सरल क्रं. | आरक्षण श्रेणी | भूखण्ड क्रं. | सेक्टर क्रं. | क्षेत्रफल (वर्गफुट में) | हस्ताक्षर |
|-------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|
| प्रथम चयन | | | | | | |
| द्वितीय चयन | | | | | | |
| तृतीय चयन | | | | | | |

6.3 प्रथम विकल्प

द्वितीय विकल्प

मेरे द्वारा सभी नियम व शर्तों का अवलोकन कर लिया गया है तथा संलग्न नियम व शर्तों की कंडिका 16 के अनुसार चयनित विकल्प में निशान अंकित कर दिया गया है। सभी नियम व शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

आवेदक का नाम -

हस्ताक्षर -

7. पंजीयन राशि जमा करने का विवरण :-

अ. जमा की गई राशि

1.) फार्म शुल्क की राशि

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2.) पंजीयन शुल्क की राशि

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| क्रं0 | विवरण | आवेदक द्वारा भरा गया विवरण |
|-------|-------------------|----------------------------|
| 1. | राशि (शब्दों में) | |
| 2. | बैंक का नाम | |
| 3. | शाखा | |
| 4. | शहर | |

ब. बैंक ड्राफ्ट/पे.आर्डर/बैंकर्स चेक का विवरण :-

| क्रं0 | विवरण | आवेदक द्वारा भरा गया विवरण |
|-------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | जारी करने वाले बैंक का नाम | |
| 2. | शाखा | |
| 3. | शहर | |
| 4. | दिनांक एवं क्रमांक | क्रमांक दिनांक..... |

स. NEFT /RTGS का विवरण जो कि आवेदक द्वारा जमा की जाये :-

| क्रं0 | विवरण | आवेदक द्वारा भरा गया विवरण |
|-------|------------------------|----------------------------|
| 1. | भेजने वाले बैंक का नाम | |
| 2. | शाखा | |
| 3. | शहर | |
| 4. | यू.टी.आर नम्बर | |
| 5. | आवेदक का पेन नं0 | क्रमांक दिनांक..... |

द. आवेदक द्वारा NEFT/RTGS से धरोहर राशि एवं फार्म शुल्क जमा करने हेतु विवरण

| क्रं0 | विवरण | |
|-------|--------------------------------|---|
| 1. | रायपुर विकास प्राधिकरण A/c No. | 3314744477 |
| 2. | खाते का नाम | कमल विहार कलेक्शन एकाउंट |
| 3. | बैंक का नाम | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सदर बाजार रायपुर (छत्तीसगढ़) |
| 4. | IFSC | CBIN0281468 |
| 5. | MICR CODE | 492016005 |
| 7. | SWIFT CODE | CBININBBBHI |

8. असफल आवेदनकर्ता के लिये राशि रिफंड प्राप्त करने हेतु :-

| क्र० | विवरण | आवेदक द्वारा भरा गया विवरण |
|------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. | आवेदनकर्ता के बैंक का नाम | |
| 2. | शाखा | |
| 3. | आवेदनकर्ता के बैंक का खाता क्रमांक | |
| 4. | आवेदनकर्ता के बैंक का IFSC कोड | |

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम.....

बीस रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित हो

घोषणा—पत्र

1. मैं प्रमाणित करता हूं / करती हूं कि मैंने आवेदन—पत्र में जो जानकारी दी है, वह सत्य है तथा मैंने बिन्दु क्रमांक 1 से 36 तक नियम एवं शर्तें पढ़ लिये हैं अथवा मुझे समझा दिये गये हैं। मुझे सभी नियम व शर्तें मान्य हैं, जिसका मेरे द्वारा पालन किया जाएगा। मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरा आबंटन निरस्त किया जा सकता है एवं जमा की गई राशि राजसात की जा सकती है। इसके अलावा अभियोजन की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
2. मैं वचन देता हूं कि मुझे भूखंड आबंटन होने की स्थिति में :
 - (अ) मैं भूखंड का केवल आवासीय उपयोग ही करूंगा ।
 - (ब) मैं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किशत एवं अन्य प्रभार जो समय—समय पर भारित होंगे, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा ।
 - (स) मैं शासन/स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूंगा ।
 - (द) मैं भूखंड का किसी भी प्रकार से विभाजन कर अन्य को विक्रय नहीं करूंगा ।
3. प्राधिकरण एवं आवेदक के मध्य उत्पन्न किसी विवाद को पंच निर्णय हेतु सौपा जाएगा और ऐसे विवाद का निपटारा अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अथवा इस हेतु उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। अध्यक्ष द्वारा किसी व्यक्ति को पंच (आर्बिट्रेटर) नियुक्त किए जाने के संबंध में मुझे आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा, भले ही ऐसा आर्बिट्रेटर रायपुर विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी ही क्यों न हो ।

स्थान :

दिनांक

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम.....

नाम.....

पंजीयन राशि बैंक ड्राफ्ट/पे.आर्डर/बैंकर्स चेक

बैंक का नाम क्रमांक..... दिनांक.....से

जमा किया गया ।

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम.....



रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्रनगर रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

आवासीय भूखंडों के लाटरी से भूखंड आबंटन के नियम एवं शर्तें

दिनांक 21.09.2017 से दिनांक 31.10.2017 तक की अवधि के लिये लागू

1. भारतीय नागरिक, भारतीय कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, एसोसियेशन ऑफ परसन, एन. आर.आई, अन्य कोई संस्था या व्यक्ति जो नियमानुसार आवासीय उपयोग हेतु प्लॉट/भूखण्ड खरीदने हेतु पात्र है, से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
2. पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय, (न्यू राजेन्द्र नगर स्थित भक्त माता कर्मा परिसर के द्वितीय तल पर) रायपुर से रू. 500/- का नगद भुगतान करके प्राप्त किये जा सकते हैं आवेदन शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं है। आवेदन पत्र शनिवार से शुक्रवार सुबह 10.30 से शाम 3.00 बजे तक एवं शनिवार को दोपहर 1.00 बजे तक शासकीय अवकाश को छोड़कर प्राप्त किये जा सकेंगे। आवेदन फार्मा का विक्रय निरंतर जारी रहेगा तथा प्रति बुधवार प्राप्त आवेदन पत्रों पर दोपहर 2.00 बजे लाटरी से आबंटन की कार्यवाही की जावेगी। प्रथम लॉटरी दिनांक 21.09.2017 को दोपहर 2.00 बजे की जावेगी।
3. आवेदन के लिए निर्धारित की गई पंजीयन राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, एकाउण्ट सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया रायपुर के नाम पर देय बैंक ड्रॉफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चेक/NEFT/RTGS द्वारा स्वीकार की जावेगी। इस हेतु प्रत्येक भूखंड के लिए आवेदन पत्र के परिशिष्ट क्र. 1 में देय पंजीयन राशि दर्शायी गयी है। बिना पंजीयन राशि के आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- A. आवेदन-पत्र को रायपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.rdaraipur.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे डाउनलोड किए गए सभी आवेदन पत्रों के साथ 500 रू. मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण A/C सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रायपुर के नाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा, साथ ही संबंधित दस्तावेजों एवं पंजीयन राशि का ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा।
- B. छत्तीसगढ़ स्थित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की समस्त शाखाओं से भी आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र मय दस्तावेजों एवं पंजीयन शुल्क सहित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं में भी जमा किया जा सकता है।
- C. आवेदन पत्र शुल्क 500 रू. एवं पंजीयन राशि को NEFT/RTGS/BANK TRANSFER से भी जमा किया जा सकता है तथा रसीद की फोटोकापी आवेदन-पत्र के साथ लगाकर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
4. संपूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र, पंजीयन राशि के साथ प्राधिकरण कार्यालय में प्रति दिन संध्या 5.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन-पत्र डाक द्वारा भी जमा कराये जा सकते हैं।
5. प्रत्येक आवेदक अपनी पसन्द अनुसार 03 वैकल्पिक भूखण्डों का चयन कर सकता है। सर्वप्रथम प्रथम चयनित भूखण्ड के लिये यदि एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो इस भूखण्ड के लिये हितग्राही का चयन लॉटरी से किया जायेगा यदि आवेदक को प्रथम चयनित भूखण्ड प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसका आवेदन द्वितीय चयनित भूखण्ड के रिक्त होने पर (किसी अन्य आवेदक द्वारा प्रथम चयनित भूखण्ड के रूप में ना होने कि स्थिति में रिक्त होने पर) द्वितीय लॉटरी में शामिल किया जावेगा। द्वितीय

चयनित भूखण्ड यदि रिक्त न हो तो आवेदक का आवेदन पत्र तृतीय चयनित भूखण्ड के रिक्त होने पर (किसी अन्य आवेदक द्वारा प्रथम/द्वितीय चयनित भूखण्ड के रूप में ना होने कि स्थिति में रिक्त होने पर) लॉटरी में शामिल किया जावेगा।

6. प्राप्त वैध आवेदनों पत्रों में से प्रत्येक भूखण्ड के लिये एक से अधिक प्राप्त आवेदन पत्रों पर कम्प्यूटरीकृत लॉटरी की कार्यवाही की जावेगी यदि किसी भूखण्ड के लिये केवल एक आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो उसके लिये लॉटरी की आवश्यकता नहीं होगी। लाटरी प्रत्येक बुधवार को दोपहर 2.00 बजे कार्यालय परिसर के मिटिंग हॉल में की जावेगी। लाटरी हेतु आवेदन पत्र लाटरी दिवस के दिन दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को आगामी लाटरी दिवस की लाटरी में आवेदित भूखंड की उपलब्धता के आधार पर शामिल किया जावेगा।
7. एक आवेदन पत्र केवल एक भूखण्ड आबंटन के लिये मान्य होगा।
8. दो से अधिक भूखंड एक ही व्यक्ति/परिवार को विक्रय नहीं किये जायेंगे।
9. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ **प्रथम चयनित भूखण्ड** के लिये तालिका में दर्शायी गई धरोहर राशि बैंकर्सचेक/डी.डी./NEFT/RTGS/BANK TRANSFER द्वारा जमा करानी होगी। जमा की गई धरोहर राशि अन्य दोनों चयनित भूखण्डों के लिये भी मान्य होगी। धरोहर राशि का समायोजन आबंटन स्वीकृत होने पर किया जावेगा।
10. ऐसे आबंटिती जिन्हें पूर्व में लॉटरी द्वारा कमल विहार योजना के अंतर्गत छोटे आकार का भूखंड का आबंटन प्राप्त हो चुका हो और यदि वे बड़े आकार का भूखंड लेने के इच्छुक हो तो वे पंजीयन शुल्क के अंतर की राशि जमा कर लॉटरी में भाग ले सकते हैं। (ऐसे परिवर्तन तभी स्वीकार होंगे जब आवेदन पूर्व में आबंटित भूखंड से बड़े आकार के भूखंड के लिये प्रस्तुत किया जावेगा।)
11. भूखण्ड आबंटन के पश्चात् यदि आवेदक भूखण्ड नहीं लेना चाहेगा, तो उनके द्वारा जमा पंजीयन राशि वापसी योग्य नहीं होगी। पंजीयन राशि के अतिरिक्त यदि कोई किस्त जमा की गई हो तो वह राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी।
12. आरक्षण व्यवस्था को आवासीय योजनाओं के लिए प्रचलित नियमों के अनुसार रखा गया है। तीन विज्ञापन प्रकाशन उपरांत यदि आरक्षित वर्ग के भूखण्ड का पंजीयन प्राप्त नहीं होता है, तो उन्हें अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन कर दिया जावेगा।
13. (A) भूखंड की दर 2000 व.फु. से बड़े आकार के भूखण्डों के लिए पट्टे पर 1402/- प्रति वर्गफुट तथा फ्री होल्ड पर 1696/- प्रति वर्गफीट होगी।
(B) भूखंड की दर 2000 व.फु. से छोटे आकार के भूखण्डों के लिए पट्टे पर 1472/- प्रति वर्गफुट तथा फ्री होल्ड पर 1781/- प्रति वर्गफीट होगी।
विशेष शुल्क अतिरिक्त रूप से देय होंगे— कार्नर भूखण्ड 10%, 18 मीटर सड़क से लगा हुआ 2%, गार्डन फेसिंग 5%, कार्नर + गार्डन फेसिंग 13% परन्तु किसी भी दशा में 15% से अधिक नहीं होगा। उपरोक्त शुल्क की गणना आबंटित भूखण्ड के मूल प्रब्याजि पर की जावेगी।
14. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदनकर्ता भूखण्ड को पट्टे अथवा फ्री होल्ड में से किसी भी एक विकल्प का चयन कर सकता है। इस हेतु अपनी स्वीकृति आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शानी होगी ताकि चयन अनुसार भूखण्ड का आबंटन किया जा सके।
15. फ्री – होल्ड में भूखण्ड लिये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अतिरिक्त राशि देय होगी :
(अ) भूखण्ड मूल्य का 1 प्रतिशत सम्परिवर्तन शुल्क एवं
(ब) भूखण्ड मूल्य का 2 प्रतिशत भू-भाटक 10 वर्षों हेतु।

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि फ्री – होल्ड में भूखण्ड लेना ऐच्छिक है । यदि भूखण्ड का क्रय लीज होल्ड में किया जाता है तब 30 वर्षों तक भूखण्ड की मूल प्रब्याजी राशि पर 2% भू-भाटक आबंटिती को नियमित भुगतान करना होगा । यह कि 30 वर्षों की अवधि पूरी होने पर लीज को पुनः नवीनीकरण किया जायेगा [शर्तें लागू]। लीज नवीनीकरण उपरांत भी भू-भाटक प्रत्येक वर्ष देना होगा ।

16. भूखंडो का आबंटन आदेश प्राप्त होने पर राशि जमा करने हेतु 02 विकल्प उपलब्ध होंगे। आवेदक को चयनित विकल्प का स्पष्ट उल्लेख सही के निशान द्वारा (✓) आवेदन फार्म की कंडिका 6.3 में अंकित करना होगा ।

अ. प्रथम विकल्प :- इस विकल्प में भूखण्ड आबंटन होने की तिथि से 60 दिन के भीतर पूर्ण राशि जमा कराये जाने पर निम्नानुसार छूट प्राप्त होगी :-

- | | |
|--|----------------|
| 1. 2000 वर्गफुट तक के आवासीय भूखण्ड पर | - 02 प्रतिशत । |
| 2. 2001 से 3000 वर्गफुट तक के आवासीय भूखण्ड पर | - 10 प्रतिशत । |
| 3. 3001 से 5000 वर्गफुट तक के आवासीय भूखण्ड पर | - 12 प्रतिशत । |
| 4. 5001 से अधिक वर्गफुट के आवासीय भूखण्ड पर | - 15 प्रतिशत । |

उपरोक्त छूट के साथ सेक्टर 01, 11ए, 11बी एवं 14बी के सभी आवासीय भूखण्डों पर 05 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जावेगी ।

ब. द्वितीय विकल्प :- इस विकल्प में भूखण्डों की दरों में किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। इस विकल्प में भूखण्ड आबंटन होने पर किशतों की राशि निम्नानुसार अवधि में जमा करनी होगी ।

- 1.) कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि (प्रथम किशत) आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 03 माह में जमा करना होगा ।
- 2.) कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि (द्वितीय किशत) आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 06 माह में जमा करना होगा ।
- 3.) कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि (तृतीय किशत) आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 09 माह में जमा करना होगा ।
- 4.) शेष राशि (पंजीयन राशि के समायोजन पश्चात्) एवं अन्य देय शुल्क, फ्री-होल्ड हेतु देय राशि (यदि आवेदकर्ता द्वारा फ्री-होल्ड कराया जा रहा है) सहित आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 12 माह में जमा करना होगा ।

17. कंडिका क्रमांक (16) में उल्लेखित मांग पत्र के अनुसार निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करने पर आबंटन निरस्त कर पंजीयन राशि प्राधिकरण के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी एवं शेष राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी। आबंटन निरस्त किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण को उपरोक्त भूखण्ड पुनः विक्रय किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा । विशेष परिस्थितियों में प्रकरण के गुण दोष के आधार पर 15 प्रतिशत सरचार्ज विलम्ब से भुगतान हेतु लिया जा सकेगा ।

18. आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा आरक्षण प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र को अनिवार्यतः संलग्न करना होगा । ऐसे व्यक्तियों को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी जिन्हें पूर्व में आबंटित भूखंडों की राशि वापस प्राप्त कर ली गई है अथवा उनके भूखंड प्राधिकरण द्वारा निरस्त किये गये हैं ।

19. भूखण्ड का सम्पूर्ण मूल्य जमा होने पर शासन के नियमानुसार आवेदक को स्वयं के व्यय पर विक्रय-विलेख, पट्टा विलेख अथवा फ्री-होल्ड विलेख का निष्पादन

- कराना होगा एवं एक माह के भीतर पंजीयन कार्यालय में उसका पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा ।
20. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन या वित्तीय संस्था से भूखण्ड क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा ।
 21. जलकर, भूभाटक, व्यवस्थापन शुल्क नियमानुसार पृथक से देय होगा ।
 22. प्राधिकरण को देय समस्त राशि भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूली योग्य होगी ।
 23. भूखंडो का लेआउट प्राधिकरण द्वारा तय किया जा चुका है । इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जावेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा। आबंटित भूखंड का किसी प्रकार से विभाजन कर विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी, परन्तु सक्षम अधिकारी से विधिवत निर्माण की अनुमति प्राप्त कर निर्मित संरचना को छ.ग. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976 के तहत विक्रय किया जा सकेगा।
 24. पंजीयन का नामांतरण नहीं किया जावेगा तथापि मूल आवेदक की मृत्यु होने की दशा में उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति के पक्ष में नामांतरण की अनुमति तभी दी जावेगी जब प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी शर्तें पूर्ण करेंगे, अन्यथा जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी ।
 25. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता एवं दूरभाष नंबर/ई-मेल आई.डी. स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें । अधूरे अथवा गलत पता दर्शाने के कारण सूचना नहीं मिलने की जवाबदारी प्राधिकरण की नहीं होगी । इस हेतु आवेदक स्वयं समय-समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी लेते रहे ।
 26. पंजीयन स्वीकार करने मात्र से ही आबंटन के किसी अधिकार का सृजन नहीं होगा, आबंटन के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
 27. किसी भी आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को रहेगा तथा इसके लिए कोई कारण नहीं बताया जायेगा ।
 28. प्राधिकरण के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे पंजीयन के तिथि में वृद्धि कर सके, अथवा पर्याप्त पंजीयन होने पर घोषित तिथि के पूर्व पंजीयन बंद कर दें ।
 29. ऐसी योजना/योजनाएं जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते हैं अथवा विवाद या अन्य कारण से योजना/ योजनाएं ली जानी प्राधिकरण हित में नहीं होगा, उसे निरस्त करने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र होगा ।
 30. उक्त योजनान्तर्गत रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लागू किये गये नियम एवं शर्तें प्रभावशील रहेंगे ।
 31. आबंटि को भूखण्ड आबंटन की शर्त, नियम, संकल्प, निर्देशों, आदेशों के अतिरिक्त समस्त शर्तों के साथ अनुबंध पत्र/विक्रय विलेख एवं लीज होल्ड/ फ्री-होल्ड विलेख में उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
 32. आबंटि को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, भूमि विकास नियम व उसके अधीन शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गए नियम, उपनियम, आदेश-निर्देश, संकल्प आदि का पालन करना अनिवार्य होगा ।

33. निविदा एवं पट्टे के नियम एवं शर्तों से उद्धृत किन्हीं विवादों के संबंध में अथवा उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन) हेतु सौंपा जायेगा । ऐसे विवाद का निपटारा अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जिसका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा । निविदादाता को पंच नियुक्त किये जाने के संबंध में आपत्ति करने का अधिकारी नहीं होगा, भले ही ऐसा पंच (आर्बिट्रेशन) रायपुर विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी ही क्यों न हो ।
34. अन्य जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है तथा मोबाईल नंबर 82230-88099 एवं 77730-99888
35. आवेदनों के लिये उपलब्ध भूखंडों का अभिन्यास में अवलोकन कमल विहार योजना स्थित स्थल कार्यालय में किया जा सकता है तथा मोबाईल नंबर 93028-09139, एवं 93028-09141 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण,
रायपुर (छ.ग.)**

**कमल विहार योजना में 17-Oct-2017 (Tuesday) को आबंटन के लिए
उपलब्ध भूखंड लॉटरी हेतु 123 भूखण्डों की तालिका**

| क्रं. | सेक्टर | भूखण्ड की स्थिति | | | | भूखण्डों की अनुमानित क्षेत्रफल वर्गफुट | भूखण्ड मूल्य (लीज होल्ड) 1472 (<2000) – 1402 रु (>2000) प्रति वर्गफुट | भूखण्ड मूल्य (फ्री होल्ड) 1781 (<2000) – 1696 रु (>2000) प्रति वर्गफुट | पंजीयन शुल्क (10 प्रतिषत) |
|-------|--------|------------------|----------------|------|--------|--|---|--|---------------------------|
| | | आरक्षण | भूखण्ड क्रमांक | दिशा | स्थिति | | | | |
| 1 | 1 | GEN | E-112 | S | | 645.83 | INR 9,50,668 | INR 11,50,230 | INR 95,070 |
| 2 | 1 | GEN | E-113 | S | | 645.83 | INR 9,50,668 | INR 11,50,230 | INR 95,070 |
| 3 | 1 | GEN | E-107 | S | | 645.83 | INR 9,50,668 | INR 11,50,230 | INR 95,070 |
| 4 | 1 | GEN | A-169a | SE | CG | 837.43 | INR 12,32,697 | INR 14,91,463 | INR 1,23,270 |
| 5 | 1 | GEN | E-117 | N | | 841.63 | INR 12,38,878 | INR 14,98,942 | INR 1,23,890 |
| 6 | 1 | GEN | E-118 | N | | 841.63 | INR 12,38,878 | INR 14,98,942 | INR 1,23,890 |
| 7 | 1 | GEN | E-119 | N | | 841.63 | INR 12,38,878 | INR 14,98,942 | INR 1,23,890 |
| 8 | 1 | GEN | E-120 | N | | 841.63 | INR 12,38,878 | INR 14,98,942 | INR 1,23,890 |
| 9 | 1 | GEN | E-122b | S | | 841.63 | INR 12,38,878 | INR 14,98,942 | INR 1,23,890 |
| 10 | 1 | GEN | E-123 | S | | 841.63 | INR 12,38,878 | INR 14,98,942 | INR 1,23,890 |
| 11 | 1 | GEN | E-123a | S | | 841.63 | INR 12,38,878 | INR 14,98,942 | INR 1,23,890 |
| 12 | 1 | GEN | E-123b | S | | 841.63 | INR 12,38,878 | INR 14,98,942 | INR 1,23,890 |
| 13 | 1 | GEN | E-124 | S | | 841.63 | INR 12,38,878 | INR 14,98,942 | INR 1,23,890 |
| 14 | 1 | GEN | E-124a | S | | 841.63 | INR 12,38,878 | INR 14,98,942 | INR 1,23,890 |
| 15 | 1 | GEN | E-124b | S | | 841.63 | INR 12,38,878 | INR 14,98,942 | INR 1,23,890 |
| 16 | 1 | GEN | E-125a | S | | 841.63 | INR 12,38,878 | INR 14,98,942 | INR 1,23,890 |
| 17 | 1 | GEN | E-125 | S | | 841.63 | INR 12,38,878 | INR 14,98,942 | INR 1,23,890 |
| 18 | 11B | GEN | G-8h | W | | 1205.56 | INR 17,74,584 | INR 21,47,102 | INR 1,77,460 |
| 19 | 11B | GEN | G-7 | N | | 1280.9 | INR 18,85,485 | INR 22,81,283 | INR 1,88,550 |
| 20 | 11A | GEN | A-61B | S | G | 1371.9 | INR 20,19,437 | INR 23,34,454 | INR 2,01,940 |
| 21 | 11B | GEN | G8i,G8j | W | | 1446.67 | INR 21,29,496 | INR 25,76,516 | INR 2,12,950 |
| 22 | 11B | GEN | G8q,G8r | E | | 1446.67 | INR 21,29,496 | INR 25,76,516 | INR 2,12,950 |
| 23 | 1 | GEN | C-59c | E | | 1588 | INR 23,37,533 | INR 28,28,225 | INR 2,33,750 |
| 24 | 13 | GEN | D-53 | E | GR | 1598.44 | INR 23,52,902 | INR 28,46,820 | INR 2,35,290 |
| 25 | 1 | GEN | A-157,158 | SE | | 1794.56 | INR 26,41,592 | INR 31,96,111 | INR 2,64,160 |
| 26 | 1 | GEN | A-159,160 | S | | 1794.56 | INR 26,41,592 | INR 31,96,111 | INR 2,64,160 |
| 27 | 1 | GEN | A-161,162 | S | | 1794.56 | INR 26,41,592 | INR 31,96,111 | INR 2,64,160 |
| 28 | 1 | GEN | A-163 | SE | | 1794.56 | INR 26,41,592 | INR 31,96,111 | INR 2,64,160 |
| 29 | 13 | GEN | D-52 | E | CGR | 1949.67 | INR 28,69,907 | INR 34,72,354 | INR 2,86,990 |
| 30 | 11B | GEN | A-44 | N | | 1979.48 | INR 29,13,796 | INR 35,25,456 | INR 2,91,380 |
| 31 | 11B | GEN | A-45 | N | | 1979.48 | INR 29,13,796 | INR 35,25,456 | INR 2,91,380 |
| 32 | 13 | GEN | D-56 | E | CGR | 2018.55 | INR 28,30,007 | INR 34,23,461 | INR2,83,000 |
| 33 | 14B | GEN | A-43 | NE | | 2260.42 | INR 31,69,107 | INR 38,33,671 | INR 3,16,910 |
| 34 | 14B | GEN | A-44 | NE | | 2260.42 | INR 31,69,107 | INR 38,33,671 | INR 3,16,910 |
| 35 | 14B | GEN | A-45 | NE | | 2260.42 | INR 31,69,107 | INR 38,33,671 | INR 3,16,910 |
| 36 | 14B | GEN | A-46 | NE | | 2260.42 | INR 31,69,107 | INR 38,33,671 | INR 3,16,910 |
| 37 | 14B | GEN | A-47 | NE | | 2260.42 | INR 31,69,107 | INR 38,33,671 | INR 3,16,910 |
| 38 | 14B | GEN | A-48 | NE | | 2260.42 | INR 31,69,107 | INR 38,33,671 | INR 3,16,910 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|----------|----|-----|---------|---------------|---------------|--------------|
| 39 | 1 | GEN | A-39b | SW | CGR | 2287.87 | INR 32,07,594 | INR 38,80,228 | INR 3,20,760 |
| 40 | 1 | GEN | A-39a | W | G | 2294.33 | INR 32,16,651 | INR 38,91,184 | INR 3,21,670 |
| 41 | 8B | GEN | B-46, 47 | W | | 2329.31 | INR 32,65,690 | INR 39,50,506 | INR 3,26,570 |
| 42 | 14B | GEN | A-42 | NE | | 2337.92 | INR 32,77,763 | INR 39,65,111 | INR 3,27,780 |
| 43 | 1 | GEN | C-174a | E | | 2456.86 | INR 34,44,518 | INR 41,66,835 | INR 3,44,450 |
| 44 | 11A | GEN | D-49 | SW | G | 2520.69 | INR 35,34,008 | INR 42,75,090 | INR 3,53,400 |
| 45 | 14B | GEN | A-49 | NE | | 2523.06 | INR 35,37,328 | INR 42,79,107 | INR 3,53,730 |
| 46 | 11A | GEN | D-19 | NE | CR | 2583.34 | INR 36,21,843 | INR 43,81,345 | INR 3,62,180 |
| 47 | 1 | GEN | D-82 | S | | 2591.19 | INR 36,32,853 | INR 43,94,664 | INR 3,63,280 |
| 48 | 11A | GEN | D-1 | SW | CR | 2607.77 | INR 36,56,094 | INR 44,22,778 | INR 3,65,610 |
| 49 | 8B | GEN | B-51 | S | - | 2625.85 | INR 36,81,446 | INR 44,53,447 | INR 3,68,150 |
| 50 | 14A | GEN | B-11A | S | | 2712.5 | INR 38,02,925 | INR 46,00,400 | INR 3,80,290 |
| 51 | 14A | GEN | B-12 | S | | 2712.5 | INR 38,02,925 | INR 46,00,400 | INR 3,80,290 |
| 52 | 1 | GEN | C-174 | E | | 2720.58 | INR 38,14,247 | INR 46,14,096 | INR 3,81,420 |
| 53 | 11A | GEN | D-27 | | | 2786.78 | INR 39,07,066 | INR 47,26,379 | INR 3,90,710 |
| 54 | 14A | GEN | B-11 | S | | 2801.52 | INR 39,27,732 | INR 47,51,378 | INR 3,92,770 |
| 55 | 14A | GEN | B-10A | N | G | 2802.49 | INR 39,29,091 | INR 47,53,023 | INR 3,92,910 |
| 56 | 13 | GEN | C-44 | N | R | 2835.21 | INR 39,74,966 | INR 48,08,518 | INR 3,97,500 |
| 57 | 4 | GEN | C-35c | S | - | 2841.67 | INR 39,84,021 | INR 48,19,472 | INR 3,98,400 |
| 58 | 11A | GEN | D-12 | NE | CR | 2954.69 | INR 41,42,476 | INR 50,11,154 | INR 4,14,250 |
| 59 | 1 | GEN | E-65 | S | | 2973.42 | INR 41,68,734 | INR 50,42,920 | INR 4,16,870 |
| 60 | 11A | GEN | A-142 | NW | C | 3115.07 | INR 43,67,328 | INR 52,83,159 | INR 4,36,730 |
| 61 | 11A | GEN | C-26B | S | G | 3358.34 | INR 47,08,388 | INR 56,95,739 | INR 4,70,840 |
| 62 | 4 | GEN | C-25A | S | | 3860.47 | INR 54,12,379 | INR 65,47,357 | INR 5,41,240 |
| 63 | 4 | GEN | B-31A | S | | 3778.13 | INR 52,96,937 | INR 64,07,707 | INR 5,29,700 |
| 64 | 12 | GEN | A-9 | E | R | 3803.96 | INR 53,33,155 | INR 64,51,520 | INR 5,33,320 |
| 65 | 11A | GEN | C-174a | SE | | 3813.76 | INR 53,46,892 | INR 64,68,137 | INR 5,34,690 |
| 66 | 11A | GEN | B-23 | W | G | 3875.01 | INR 54,32,765 | INR 65,72,017 | INR 5,43,280 |
| 67 | 13 | GEN | D-16 | S | | 3907.19 | INR 54,77,881 | INR 66,26,594 | INR 5,47,790 |
| 68 | 13 | GEN | D-17 | S | | 3907.19 | INR 54,77,881 | INR 66,26,594 | INR 5,47,790 |
| 69 | 14A | GEN | B-13 | S | | 3917 | INR 54,91,634 | INR 66,43,232 | INR 5,49,160 |
| 70 | 11A | GEN | C-6 | S | - | 3955.73 | INR 55,45,938 | INR 67,08,924 | INR 5,54,600 |
| 71 | 10 | GEN | B-121 | NW | CG | 4210.84 | INR 59,03,598 | INR 71,41,585 | INR 5,90,360 |
| 72 | 10 | GEN | B-196 | E | G | 4252.28 | INR 59,61,697 | INR 72,11,867 | INR 5,96,170 |
| 73 | 12 | GEN | C-36 | S | R | 4252.28 | INR 59,61,697 | INR 72,11,867 | INR 5,96,170 |
| 74 | 4 | GEN | C-59 | N | | 4255.62 | INR 59,66,380 | INR 72,17,532 | INR 5,96,640 |
| 75 | 1 | GEN | C-6 | S | R | 4394.9 | INR 61,61,650 | INR 74,53,751 | INR 6,16,170 |
| 76 | 1 | GEN | C-6a | S | R | 4394.9 | INR 61,61,650 | INR 74,53,751 | INR 6,16,170 |
| 77 | 1 | GEN | C-7 | S | R | 4394.9 | INR 61,61,650 | INR 74,53,751 | INR 6,16,170 |
| 78 | 12 | GEN | B-29 | S | | 4434.41 | INR 62,17,043 | INR 75,20,759 | INR 6,21,700 |
| 79 | 11B | GEN | G-25 | S | | 4503.62 | INR 63,14,069 | INR 76,38,132 | INR 6,31,410 |
| 80 | 11B | GEN | G-24 | S | G | 4536.45 | INR 63,60,097 | INR 76,93,812 | INR 6,36,010 |
| 81 | 11A | GEN | C-4 | ES | CR | 4582.52 | INR 64,24,694 | INR 77,71,954 | INR 6,42,470 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----------|----|-----|----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 82 | 8A | GEN | A-177B | E | R | 4595.11 | INR 64,42,343 | INR 77,93,305 | INR 6,44,230 |
| 83 | 12 | GEN | D-94 | E | GR | 4604.8 | INR 64,55,925 | INR 78,09,735 | INR 6,45,590 |
| 84 | 7A, | GEN | A-15 | S | G | 4643.44 | INR 65,10,103 | INR 78,75,274 | INR 6,51,010 |
| 85 | 2 | GEN | B-6 | S | G | 4727.19 | INR 66,27,520 | INR 80,17,314 | INR 6,62,750 |
| 86 | 11A | GEN | B-11 | SW | CGR | 4777.34 | INR 66,97,831 | INR 81,02,369 | INR 6,69,780 |
| 87 | 8B | GEN | A-12 | N | | 4843.76 | INR 67,90,952 | INR 82,15,017 | INR 6,79,100 |
| 88 | 1 | GEN | B-1 | S | R | 4872.82 | INR 68,31,690 | INR 82,64,299 | INR 6,83,170 |
| 89 | 6 | GEN | B-49b | S | G | 4935.03 | INR 69,18,913 | INR 83,69,811 | INR 6,91,890 |
| 90 | 1 | GEN | D-12 | S | | 4972.92 | INR 69,72,036 | INR 84,34,075 | INR 6,97,200 |
| 91 | 1 | GEN | B-2 | S | R | 5014.26 | INR 70,29,986 | INR 85,04,177 | INR 7,03,000 |
| 92 | 13 | GEN | C-57A | N | | 5053.65 | INR 70,85,217 | INR 85,70,990 | INR 7,08,520 |
| 93 | 2 | GEN | B-5 | S | | 5264.95 | INR 73,81,460 | INR 89,29,355 | INR 7,38,150 |
| 94 | 2 | GEN | B-7a | S | G | 5264.95 | INR 73,81,460 | INR 89,29,355 | INR 7,38,150 |
| 95 | 1 | GEN | C-197 | E | | 5328.13 | INR 74,70,039 | INR 90,36,509 | INR 7,47,000 |
| 96 | 1 | GEN | C-198 | E | | 5328.13 | INR 74,70,039 | INR 90,36,509 | INR 7,47,000 |
| 97 | 11A | GEN | C-144 | NW | RG | 5373.98 | INR 75,34,327 | INR 91,14,278 | INR 7,53,430 |
| 98 | 10 | GEN | B-60 | E | - | 5437.92 | INR 76,23,967 | INR 92,22,716 | INR 7,62,400 |
| 99 | 10 | GEN | B-60a | E | - | 5437.92 | INR 76,23,967 | INR 92,22,716 | INR 7,62,400 |
| 100 | 10 | GEN | B-60b | E | - | 5437.92 | INR 76,23,967 | INR 92,22,716 | INR 7,62,400 |
| 101 | 12 | GEN | D-15 | S | | 5461.82 | INR 76,57,472 | INR 92,63,247 | INR 7,65,750 |
| 102 | 2 | GEN | B-54b | S | R | 5559.34 | INR 77,94,195 | INR 94,28,641 | INR 7,79,420 |
| 103 | 11A | GEN | C-138a | SW | C | 5627.91 | INR 78,90,330 | INR 95,44,935 | INR 7,89,030 |
| 104 | 12 | GEN | B-84 | N | - | 5686.57 | INR 79,72,569 | INR 96,44,420 | INR 7,97,260 |
| 105 | 12 | GEN | B-85 | N | - | 5686.57 | INR 79,72,569 | INR 96,44,420 | INR 7,97,260 |
| 106 | 12 | GEN | B-86 | N | - | 5686.57 | INR 79,72,569 | INR 96,44,420 | INR 7,97,260 |
| 107 | 12 | GEN | D-20 | N | | 5812.5 | INR 81,49,125 | INR 98,58,000 | INR 8,14,910 |
| 108 | 4 | GEN | D-111 | S | | 5818 | INR 81,56,836 | INR 98,67,328 | INR 8,15,680 |
| 109 | 4 | GEN | D-3A | W | GR | 6012.72 | INR 84,29,833 | INR 1,01,97,573 | INR 8,42,980 |
| 110 | 2 | GEN | B-13 | S | G | 6138.66 | INR 86,06,401 | INR 1,04,11,167 | INR 8,60,640 |
| 111 | 2 | GEN | C-24,C-25 | W | | 6328.1 | INR 88,71,997 | INR 1,07,32,458 | INR 8,87,200 |
| 112 | 8B | GEN | B-3 | W | G | 6405.12 | INR 89,79,983 | INR 1,08,63,089 | INR 8,98,000 |
| 113 | 8B | GEN | B-4 | W | - | 6405.12 | INR 89,79,983 | INR 1,08,63,089 | INR 8,98,000 |
| 114 | 7A, | GEN | B-1 | S | CR | 6601.18 | INR 92,54,855 | INR 1,11,95,601 | INR 9,25,490 |
| 115 | 10 | GEN | B-37 | E | RG | 6639.18 | INR 93,08,131 | INR 1,12,60,049 | INR 9,30,820 |
| 116 | 10 | GEN | C-30 | N | C | 6705.91 | INR 94,01,685 | INR 1,13,73,223 | INR 9,40,170 |
| 117 | 6 | GEN | A-150 | N | R | 6724.75 | INR 94,28,095 | INR 1,14,05,170 | INR 9,42,810 |
| 118 | 8A | GEN | D-1 | SW | CR | 6817.1 | INR 95,57,575 | INR 1,15,61,802 | INR 9,55,760 |
| 119 | 11A | GEN | A-26 | N | | 7475.91 | INR 1,04,78,422 | INR 1,26,75,751 | INR 10,47,840 |
| 120 | 4 | GEN | A-104 | N | R | 7856.58 | INR 1,10,14,925 | INR 1,33,24,760 | INR 11,01,490 |
| 121 | 12 | GEN | D-19 | N | | 7898.55 | INR 1,10,73,767 | INR 1,33,95,941 | INR 11,07,380 |
| 122 | 10 | GEN | B-36 | E | RG | 10209.56 | INR 1,43,13,802 | INR 1,73,15,412 | INR 14,31,380 |
| 123 | 10 | GEN | B-178 | SE | CGR | 16312.69 | INR 2,28,70,392 | INR 2,76,66,323 | INR 22,87,040 |

| Area in Sqft | | (% Discount) |
|--|------------|--------------|
| 1 | Upto 2000 | 2% |
| 2 | 2001-3000 | 10% |
| 3 | 3001-5000 | 12% |
| 4 | Above-5001 | 15% |
| Additional 5% Discount Available on Sector- 1,11A,11B,14B | | |

| Direction | |
|-----------|---|
| North | N |
| East | E |
| West | W |
| South | S |

| Terminology | | (@1402) |
|-------------|---|---------|
| C | Corner | 10% |
| R | any road along any side of plot is 18 m. or more wide | 2% |
| G | any side of plot is garden facing | 5% |
| CGR | Corner, Facing Garden, 18m Wide Road | 15% |
| CG | Corner and Facing Garden | 13% |
| CR | Corner and 18m Wide Road | 12% |
| RG | 18m Wide Road and Facing Garden | 7% |

टीप :- (1) 2000 वर्गफुट तक के भूखण्डों की वर्तमान दर लीज हेतु 1,472/- रुपये एवं फ्री-होल्ड हेतु 1,781/- रुपये प्रति वर्गफुट की दर निर्धारित है।

अन्य जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है। मोबाईल नंबर 82230-88099 एवं 77730-99888